

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट बिधूना, औरैया।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या— /2026

CNR NO. UPAU1200

राज्य

बनाम

विजयपाल सिंह आदि।

मु0सं0-126 / 2022

मु0अ0सं0-505 / 2020

धारा-323, 504 भा0दं0सं0

थाना-बिधूना, जिला औरैया।

आदेश

दिनांक-10.03.2026

अभियुक्तगण विजयपाल सिंह, जयपाल सिंह उर्फ छुन्ना व बबलू पाठक उर्फ योगेश कुमार की ओर से मु0अ0सं0-505 / 2020, अन्तर्गत धारा-323, 504 भा0दं0सं0, थाना बिधूना, जिला औरैया के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण आत्मसमर्पण कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थीगण को उक्त अभियोग में रंजिशन व झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने कथित घटना से सम्बन्धित कोई मारपीट व गाली गलौज नहीं की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है एवं विलम्ब का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है। वह अपनी जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित हैं।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उपरोक्त मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध तीन वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय है। आक्षेपित अपराध जमानतीय प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए, बिना गुण दोष पर टीका-टिप्पणी किये, अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने के आधार पर्याप्त है। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा 20,000/-रूपये धनराशि की एक-एक जमानत एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है कि अभियुक्तगण प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे, विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा किसी साक्षी के साथ प्रताड़ना या दुर्व्यवहार कारित नहीं करेंगे।

(डॉ0 प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,
बिधूना, औरैया।
JO Code UP 3441